Avadh Law College
Barabanki

Criminal procedure
act- 1973

(Unit-V)

Syllabus-

Conception of fair trial.
Presumption of innocence.
Place of trial.
Rights of the accused to know the accusation.
Rights of cross-examination and offering evidence in defence: the accused's statement.
Right to speedy trial.
Doctrine of "autrefois acquit' and 'autrefoes convict'.

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki

Conception of fair trial (निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा) -:

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक अभियुक्त के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विचारण सुनिश्चित करना है। देश में अभियुक्त के विचारण के लिए प्रतिपक्ष प्रणाली (adversary system)का अनुपालन किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत अभियोजन पक्ष को अभियुक्त को दोष सिद्ध करवाने के लिए युक्तियुक्त संदेह से परे दोष को साबित करना पड़ता है।

भारतीय न्यायपालिका ने अनेक वादों में निष्पक्ष विचारण की अवधारणा एवं उसके महत्व को इंगित किया है।

उच्चतम न्यायालय ने (बेस्ट बेकरी केस) जाहिरा शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य में अवधारित किया कि निष्पक्ष विचारण वह है जो कि निष्पक्ष जज स्वतंत्र अभियोजक और न्यायिक शांति के वातावरण में किया गया हो।

निष्पक्ष विचारण के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं-

1- निर्दोषता की उपधारणा (presumption of innocence)

2- स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायाधीश (independent impartial and competent judges)

3- शीघ्र न्याय (expeditious trial)

4- खुले न्यायालय में सुनवाई (hearing should be in open court)

5- आरोपों की जानकारी और बचाव के पर्याप्त अवसर (knowledge of accusation and adequate opportunity of defence)

6- अभियुक्त की उपस्थिति में विचारण(Trial in presence of accused)

7- साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना (evidence to be taken in presence of accused)

8- अभियोजन पक्ष के साक्षी की प्रति परीक्षा(cross examination of prosecution witnesses)

9- दोहरे दंड का प्रतिषेध (prohibition of double jeopardy)

10- विधिक सहायता (legal aid)

निर्दोषता की उपधारणा-:

कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष प्रकल्पित किया जाए जब तक उसकी दोषसिद्धि न हो जाए। विधि प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष मानती है अतः अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पर होता है। अपराध जिसका आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है को गठित करने वाले आवश्यक तत्वों को न्यायालय की संतुष्टि तक सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पर रहता है। न्यायालय अभियुक्त को तभी दंडित कर सकता है जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो गई है। इसका अर्थ यह है कि सभी युक्तियुक्त संदेहों का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए यह सिद्धांत इस आपराधिक नीति पर आधारित है कि कई दोषी व्यक्तियों को छोड़ देना एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित करने से श्रेष्ठ कर है ।
यद्यपि इस नियम के अनेक अपवाद है-

सांविधिक अपराध ऐसे अपराध हैं जिनमें दायित्व के अनुपालन मात्र से ही अभियुक्त के दोषी होने की अवधारणा कर ली जाती है।

चोरी का सामान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत क के अंतर्गत दोषी होने की उप-धारणा ।

अभियुक्त की पूर्व दोष-सिद्धि उसके विरुद्ध किसी मामले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है दंड संहिता की धारा 75 के अंतर्गत पूर्व दोष सिद्धि को एक निश्चित सीमा तक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि यह सब तभी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा जब अभियुक्त विचाराधीन अपराध के लिए दोषी पाया जाता है।

न्याय का स्थान (place of trial)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 में उस स्थान जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है के बारे में प्रावधान किया गया है।
इस धारा का उद्देश्य न्यायालय का खुला होने के लिए उपबंध प्रस्तुत करना है यह खुला न्यायालय का तात्पर्य वह स्थान माना गया है जिसमें कोई दंड न्यायालय अपराध की जांच या विचारण के लिए बैठता है और जिसमें जनता साधारणतः उस सीमा तक प्रवेश कर सके जिस सीमा तक सुविधा पूर्वक उसमें समा सकें परंतु न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के प्रक्रम पर यदि ठीक समझता है तो आदेश दे सकता है कि जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे या भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है प्रवेश नहीं कर सकता।

आरोप की जानकारी का अभियुक्त व्यक्ति का अधिकार-:

संविधान के अनुच्छेद 22(1) द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से यथा शीघ्र अवगत होने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 इसी संवैधानिक उपबंध के अनुरूप गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाने की व्यवस्था करती है।

जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वारंट पर की जाती है तब उसमें गिरफ्तारी के आधार उल्लेखित रहते हैं। परंतु जहां गिरफ्तारी वारंट के बिना की गई है वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बतलाना एक सांविधानिक आवश्यकता है।यदि ऐसा नहीं किया जाता तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति यदि शपथ पर यह कहता है कि उसे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया तो इसका उत्तर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को देना होगा।

दोहरे खतरे का सिद्धांत (Doctrine of Double jeopardy) -

दोहरे खतरे के सिद्धांत का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित न किया जाए यह आपराधिक न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का विवेचन हमें कामन ला के (Autre fois acquit and autre fois convict) प्राग दोषमुक्त और पूर्व दोष सिद्ध सूत्र में मिलता है जिसका अर्थ है कि अभियुक्त पश्चातवरती विचारण के दौरान पूर्व दोषमुक्त और पूर्व दोष सिद्ध की सहायता ले सकता है पूर्व दोषमुक्त और पूर्व दोष सिद्ध पश्चातवरती विचारण को वर्जित करती है यह सिद्धांत कामन लॉ (nemo debet causa bis vexari)नियम पर आधारित है जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए।

भारत में यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 20 (2) तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1976 की धारा 300 की उपधारा 1 में वर्णित है ।

अनुच्छेद 20 (2) उपबंधित करता है की किसी भी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए 1 बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जाएगा।

दंड प्रक्रिया संहिता1973 की धारा 300 की उपधारा 1 प्रावधान करती है की जो कोई भी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक बार किसी अपराध के लिए विचारित होने के पश्चात दंडित हुआ था या उसे दोषमुक्त प्रदान की गई थी वह जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्त प्रवृत रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोषसिद्धि किया जा सकता था।

धारा 300 की उपधारा 2 से 6 तक धारा 300(1) के कुछ अपवाद उपवंधित है। धारा 300 (1) के प्रवर्तन का मुख्य आधार यह है की प्रथम विचारण एक ऐसे न्यायालय के समक्ष होना चाहिए जो मुकदमे को सुनने और निर्णय देने तथा दोषसिद्ध या दोषमुक्त का निर्णय देने के लिए सक्षम हो।

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki